राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स 3(2)(1)स्था/एपीपी–II/अभि/नियु./2013पार्ट/2613-73 दिनांक : 26.02.2019

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्रांक एफ–7(9) भर्ती/गोपनीय/2009–10/579 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.02.2016 की अनुपालना में संशोधित परिणाम जारी कर 10 चयनित अभ्यर्थियों के नाम संबंधित सेवा नियमों के अनुसार सहायक लोक अभियोजक–द्वितीय के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा अभिस्तावित किये गये है।

इनमें से 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई एवं 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की गई। शेष 2 पदों पर भरतपुर/धौलपुर के जाट समुदाय को ओ.बी.सी. का लाभ दिये जाने के संबंध में कार्मिक एवं वित्त विभाग की टिप्पणी के बाद उक्त 2 अभ्यर्थियों को पुलिस आयुक्त/पुलिस विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर से चरित्र सत्यापन संबंधी रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त होने पर उक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 22 के अन्तर्गत एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 16 के अनुसार परीविक्षा की कालावधि में अनुसूची IVth के अनुसार नियत पारिश्रमिक एल–11 में रुपये 26500/– पर सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है –

क्र. स.	मेरिट सं.	नाम अभ्यर्थी एवं पता	वर्ग	जन्म तिथी	पदस्थापन न्यायालय का नाम
1	113	श्री चरण सिंह पुत्र श्री मंगती राम सोलंकी निवासी–ग्राम–पोस्ट–पुराबाईखेडा तह.–बयाना, जिला–भरतपुर, राजस्थान– 321405	ओबीसी	10.11.85	न्या. सी.जे. (जे.डी.) जे.एम. भवानीमंडी (झालावाड़) (रिक्त पद)
2	115	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह निवासी– गॉव–नगला वधैया, पोस्ट–धौरमुई, जिला–भरतपुर राज0–321025	ओबीसी	15.09.78	ग्राम न्यायालय, खैराबाद (कोटा) (रिक्त पद)

उक्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण उपस्थिति दिनांक से 10 दिवस तक संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन रहेगें। देय नियत पारिश्रमिक में से जीपीएफ एवं राज्य बीमा की कटौती नही होगी तथा इन्हे किसी प्रकार का भत्ता यथा विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता,शहरी भत्ता, ऐडहोक बोनस आदि देय नही होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में कार्य ग्रहणकाल एवं कार्यग्रहण करने के लिये यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नही होगा। कार्यग्रहण करने के पश्चात राजकीय कार्य के लिये की गयी यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण होने पर मील भत्ता नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में 15 आकस्मिक अवकाश देय होगा। यदि एक कलेण्डर वर्ष से कम सेवा की अवधि हो तो उसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश की गणना की जावेगी।

26/2/19

---2

इन सहायक अभियोजन अधिकारियों को, दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 की अनुसूचि 1st (पार्ट–1) नियम –5 (V) के अनुसार पे–मेट्रिक्स में पे लेवल (एल–11) में न्युनतम देय होगी। नये भर्ती नियमो के अनुसार इनको अशंदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उपरोक्त अभ्यार्थिगण आदेश जारी होने की तिथी से 07 दिवस में आवश्यक रुप से उनके नाम के सामने अंकित संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्युरिष्ट/सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यार्थिगण नियुक्ति के समय संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगें कि उनके सम्बन्ध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पदग्रहण करने की तिथी तक उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही हुआ है। उपरोक्त नवनियुक्ति अभ्यर्थिगण की सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अध्ययधीन होगी।

(रमेश कुमार शर्मा) 26/2/19
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान। (मुख्यालय सहित)
8. संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी। (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
9. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली

निदेशक अभियोजन 26/2/19
राजस्थान जयपुर